



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**जिला सम्बर्ग अन्तर्गत प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक
एवं उर्दू सहायक शिक्षक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन**

विज्ञापित संख्या - 33/2011

विज्ञापित संख्या 27/2011 एवं 29/2011 के क्रम में प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि -

- (क) विकलांगों के लिए अनुमान्य 03% क्षैतिज आरक्षण का लाभ सरकारी नियमानुसार दिया जायेगा।
- (ख) उर्दू सहायक शिक्षक पदों के विरुद्ध प्रारम्भिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिये मुख्य परीक्षा के क्रमांक 02 (सामाजिक विज्ञान) और 03 (सामान्य विज्ञान) विषयों की परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा उर्दू होगा।
- (ग) विज्ञापित संख्या 27/2011 में दिये गये सामान्य निर्देश की कंडिका-10 के शब्द समूह "जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र (अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत)" को विलोपित किया जाता है। अब उसके स्थान पर "झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र" पढ़ा जाय। पूर्व में निर्गत विज्ञापित संख्या 27/2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/PTR/8692/11/SECY/127/11

Dt. 05.04.2011

D.O.P. 06.04.2011